

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

प्राथमिक  
अदालत  
की तारीख


06.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पार्थी पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विगत 07 माह का समय व्यतीत होने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए गए हैं। जो कि पर्याप्ततम अवसर दिए जा चुके हैं। न्यायक्षेत्र में एक अन्तिमतम अवसर दिया जाता है, आगे अवसर देय नहीं होगा। पत्रावली वास्तव - तलबी दिनांक 08.09.22 को पेश हो।

  
उप सचिव अदालत  
बालोतरा (बडदेरा)

01/9/22

पार्थी पक्ष अनुपस्थित पत्रावली विगत 07 माह से भी अधिक समय से तलबी में विचाराधीन चल रही है और पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। और गत पेशी तारीख पर भी अन्तिमतम अवसर दिया था, लेकिन नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आगे और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं होता है। सिद्दाजा पार्थी का आवेदन पत्र स्टैज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार लेकर दारिखत दफतर हो।

  
(नरेश कुमार)  
उप सचिव अदालत  
बालोतरा